न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स संख्या 36/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कोलाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर।		1धन्नाराम पुत्र नारायणराम 2गोविन्दराम पुत्र नारायणराम (फौत) के का.मु. – 2/1 किशनाराम पुत्र गोविन्दराम 2/2 मोटाराम पुत्र गोविन्दराम जातियान जाट निवासीगण कांटिया तहसील खींवसर।

उपस्थिति –
1श्री वकील प्रार्थी की ओर से श्री अनिल गौड।
2श्री श्याम कुमार व्यास, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.2.21

{1}–प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम कांटिया के खसरा नं. 1332, 1336 व 1342 जमाबंदी 2020 के अनुसार गै.मु. रास्ता भूमि को हाल भू प्रबन्ध के दौरान अप्रार्थीगण के पिता द्वारा गलत रूप से अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाये जाने से भूमि पुनः रास्ते के रूप मे अंकित करवाये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। रेफरेन्स के विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी सं. 1 धन्नाराम द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.19 को प्रस्तुत किया गया है। जिसका वकील प्रार्थी द्वारा जवाब दिनांक 22.11.19 को प्रस्तुत किया गया है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पर सुनी गई। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि –

{2}(1)–प्रार्थी ने उक्त रेफरेन्स आवेदन धारा 232 आरटीएक्ट के तहत न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया है। किन्तु उक्त आवेदन मे किस आदेश या डिक्री की वैधता को चुनौती दी है। यह स्पष्ट नही है। प्रार्थी ने उक्त आवेदन मे न तो किसी आदेश की तारीख अंकित की है, न ही किस न्यायालय द्वारा कौनसी डिक्री पारित की है यह उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन संधारणीय नही होने से इसी स्टेज पर निरस्तनीय है।

{2}(2)–प्रार्थी ने आवेदन के पैरा सं. 4 मे अप्रार्थी की खातेदारी व इन्द्राज को निरस्त किये जाने व खसरा नं. 1332, 1336 व 1342 की भूमि को पुनः रास्ते की भूमि दर्ज किये जाने के लिये आवेदन पेश किया है किन्तु उक्त इन्द्राज किस सक्षम न्यायालय द्वारा किस दिनांक को किये गये, ऐसा कोई उल्लेख आवेदन मे नही है। इस प्रकार प्रार्थी ने इस आवेदन मे किस आदेश अथवा डिक्री को चुनौती दी है। यह स्पष्ट न होने से यह आवेदन निरस्तनीय है।

{2}(3)–उक्त आवेदन मे विवादित खेताय के संबंध मे प्रकरण सं. 446/65 सब डिवीजनल ऑफीसर के न्यायालय मे पेश हुआ। जिसमे दिनांक 20.1.66 को आदेश हुआ। जिस आदेश को प्रार्थी ने सक्षम न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर मे अपील सं. 81/16 के जरिये चुनौती दी हुई है। ऐसी स्थिति मे उसी आदेश को निरस्त करने के संबंध मे न्यायालय हाजा मे कार्यवाही चलने योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन न्यायालय हाजा मे चलने योग्य न होने से निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे

{3}–वकील प्रार्थी द्वारा वकील अप्रार्थी सं. 1 की बहस का विरोध करते हुए अप्रार्थी की प्रारंभिक आपति प्रार्थना पत्र के जवाब प्रार्थी, के तथ्यों का दोहराया तथा तर्क दिया कि–

{3}(1)–रेफरेन्स मे किसी आदेश या डिक्री के वैधता को चुनौती देने के लिये पेश किया जाता है, जहां आदेश की तिथि अंकित किया जाना आवश्यक नही है तथा न ही इस आधार पर रेफरेन्स संधारणीय नही हो, ऐसा नही माना जा सकता है।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}(2)– खसरा सं. 1332, 1336 व 1342 के संबंध मे किसी न्यायालय द्वारा आदेश पारित नही किया जाकर यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज होने के कारण दुरूस्त करने के लिये पेश किया गया।

{3}(3)– विवादित भूमि को लेकर सब डिवीजनल ऑफीसर्स के न्यायालय मे जो प्रकरण सं. 446/65 के संबंध मे आदेश दिनांक 20.1.66 को पारित किया गया था, के विरूद्व संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय मे अपील अवश्य पेश हो रखी है। लेकिन इस आधार पर अपील के लंबित रहते वर्तमान कार्यवाही को नही रोका जा सकता है।

{4}– प्रारंभिक आपति प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं रेफरेन्स पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि मौजा कांटिया के खसरा नं. 1332, 1336 व 1342 गै.मु. रास्ते से अप्रार्थीगण की खातेदारी मे किसी आदेश से आई है, ऐसे किसी आदेश की दस्तावेजी प्रतियां प्रस्तुत नही की गई है। प्रारंभिक आपति के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर आराजी भूमि को लेकर पूर्व मे न्यायालय सब डिवीजनल ऑफीसर नागौर के प्रकरण सं. 446/1965 नारायणराम बनाम भेराराम निर्णय दिनांक 20.01.1966 को पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्व प्रार्थी कोलाराम द्वारा अति. संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील सं. 81/2016 कोलाराम बनाम धनाराम प्रस्तुत हुई है, जो वर्तमान मे लंबित है। इस तथ्य को लेकर दोनो पक्षो मे कोई विरोधाभासी कथन नही है। जब सक्षम न्यायालय मे विवादित भूमि को लेकर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील की कार्यवाही विचाराधीन है तो अपील एवं रेफरेन्स की कार्यवाही एक समय साथ साथ चलाया जाना उचित प्रतीत नही होती है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 की प्रारंभिक आपति उचित आधारों पर प्रतीत होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 धन्नाराम का प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2019 ठोस आधारो पर होने से स्वीकार कर प्रार्थी का रेफरेन्स इस स्टेज पर खारिज किया जाता है।

{6}– आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर